Office Of The District Legal Services Authority, Deoghar

Phone No.06432-275496 Email; - deoghardlsa@gmail.com

DLSA/DEO/Letter No. 828 Dated: 05.08.2021

From: - Secretary,
District Legal Services Authority,
Deoghar.

To,
The Deputy Secretary,
Jharkhand State Legal Services Authority,
Ranchi.

Ref.: - Letter No. JHALSA/928 dated 21.03.2016.

Sir,

In compliance of above letter No., I am sending herewith the required information regarding details of programmes and other activities of the District Legal Services Authority, Deoghar for the month of July, 2021 including the programme relating to Legal-aid to poor and number of beneficiaries of different categories and alternative dispute Resolution Mechanisms- ADR Centers, Permanent Lok Adalats / Lok Adalats. No. of cases disposed off, no. of Lok Adalat held etc. during the Month of July, 2021.

Activities of DLSA, Deoghar for the month of July, 2021.

Legal-aid Beneficiaries

Sl. No	Month	No. of Persons benefited
1	July, 2021	05

Legal Awareness Camp

Sl. No	Month	No. of Legal Awareness Camp	No. of Persons benefited in Awareness Camp
1	July, 2021	32	292

Lok Adalats (Monthly/ National/ Mega)

Sl. No	Month	Name of Lok Adalat	Date	Cases disposed (including pre-litigation)	Amount Settled (In Rs.)
1	July, 2021	Lok Adalat	31.07.2021	29	8,73,700/-
2		National Lok Adalat	10.07.2021	1235	75,87,450/-

Jail Adalats

Sl. No	Date	No. Case disposed off	No. of Jail imprisoner released
1	18.07.2021	Nil	Nil

Activities at Mediation Centre for the month of July, 2021

Sl. No.	Months	Cases Received	Cases Settled	Unsettled / No Mediation	Pending
1	July, 2021	20	11	09	14

Activities at Permanent Lok Adalat for the month of July, 2021

Sl. No.	Months	Cases Received	Cases Settled	Pending
1	July, 2021	27	35	61

Activities in DLSA

- **10.07.2021** :- National Lok Adalat (Virtual/Hybrid mode) conducted on 10.07.2021.
- **14.07.2021**:- Vaccination Camp (Covid-19) organized by DLSA, Deoghar with the help of Civil Surgeon, Deoghar.
- **18.07.2021**:- Jail Adalat-cum- Legal Awareness Camp.
- **31.07.2021**:- Monthly Lok Adalat (Virtual).
- **From 01.07.2021 to 15.07.2021:-** Legal Awareness Camp conducted through Justice on Wheel in the Blocks of sub-divisional, Madhupur.
- **From 16.07.2021 to 31.07.2021:-** Legal Awareness Camp conducted through Justice on Wheel in the Blocks of Deoghar.
- All PLVs are being aware to the people of Deoghar District about pandemic of COVID-19.
- The people of Deoghar District inspired to use of Mask and Sanitizer by PLVs.
- PLVs are helping to provide food items to the needy people.

Sincerely yours,

Sd/-
Secretary,
District Legal Services Authority,
Deoghar.

Encl: - Photo copy of news paper cuttings

Hindustan
11/07/21

लोक अदालत में 293 मामलों का हुआ निष्पादन

मधुपुर। अनुमंडल न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी रवि नारायण, न्यायिक पदाधिकारी नरेंद्र कुमार, रेलवे न्यायिक पदाधिकारी गौतम गोविंदा, न्यायिक पदाधिकारी अनिल कुमार के न्यायालय में 293 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया।

चार अलग-अलग बेंचों के माध्यम से क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस 60, उत्पाद विभाग 16, एनआरटी 100, बैंक से संबंधित 22 और रेलवे के 92 मामलों को द्विपक्षीय समझौता के आधार पर सुनवाई करते हुए कुल 293 मामलों का निष्पादन किया गया। मामलों में 8 लाख 71 हजार 524 रुपया का सेटलमेंट भी किया गया। मौके पर अधिवक्ता रमेश नारायण सिन्हा, दीपक कुमार, सुशीला हांसदा, सुधांशु शेखर, पेशकार आनंद राय सुजीत कुमार आदि मौजूद थे।

प्रभात खबर 13/07/21

जेल अदालत 18 को

देवघर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में केंद्रीय कारा देवघर में वर्चुअल जेल अदालत का आयोजन 18 जुलाई 2021 को होने जा रहा है. इस जेल अदालत के माध्यम से बंदियों के आवेदनों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जायेगी. जिसमें विधि सम्मत तरीके से आदेश पारित किये जायेंगे.

श्वेत पत्र – 15/07/18

राष्ट्रीय लोक अदालत में 319 मामलों का निष्पादन एवं 59 लाख 10 हजार 95 रूपये का सेटलमेंट

देवघर कोर्ट (विशे)।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन फैमली जज निकेश कुमार सिन्हा ने किया, इस अवसर पर सभी न्यायिक दण्डाधिकारीगण उपस्थित थे। कुल 15 बेंचों का गठन किया गया जिसमें न्यायिक पदाधिकारीगण एवं अधिवक्तागण थे। देवघर न्याय मंडल में कुल 319 मामलों का निष्पादन किया गया तथा 59 लाख 10 हजार 95 रूपये का सेटलमेंट किया गया। जिसमें बैंक, वन, उत्पाद, रेलवे, बिजली क्रिमीनल सिविल एवं प्रीलीटीगेसन एवं अन्य मामले सम्मिलित थे। मोटरयान दुर्घटना मामला में दो चेक प्रदान किया गया एक में 5 लाख 60 हजार रूपये का तथा दूसरा में 4 लाख 41 हजार 6सौ 73 रूपये का था। सभी का सहयोग सराहनीय था। इस बात की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सचिन्द्र बिजल्वा ने दी है।

चलंत वाहन द्वारा बांटी गयी कानूनी पुस्तकें

देवघर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में चलंत जागरूकता वाहन के माध्यम से प्रखंड कार्यालय देवघर परिसर में कानूनी पुस्तकें बांटी गयीं. ये कानूनी पुस्तकें झालसा रांची के सौजन्य से प्रकाशित हैं जिसमें हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, मनरेगा अधिनियम, दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 आदि की शामिल हैं. इस दौरान के पैनल अधिवक्ता चिरंजीवी प्रसाद चौधरी के अलावा [illegible] कुमार, श्याम कुमार, विनोद पांडेय, पीएलवी [illegible] आदि ने कानूनी पुस्तकें वितरित की साथ ही आम नागरिकों को कानूनी जानकारी दी गयी.

मोहनपुर में लगा चलंत कानूनी जागरूकता शिविर

देवघर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मोहनपुर में चलंत [illegible] शिविर का आयोजन किया गया. [illegible] शिविर जस्टिस ऑन व्हील के माध्यम से किया गया. जहां पर पैनल अधिवक्ता [illegible] प्रसाद [illegible] ने लोगों को कानूनी जानकारी दी. उन्होंने दहेज प्रथा उन्मूलन [illegible] के बारे में बताया. [illegible] कुमार, पीएलवी [illegible] पुस्तकें बांटी. [illegible] कुमार, विनोद पांडेय [illegible]

- [illegible] लोगों को कानूनी जानकारी [illegible]

जस्टिस ऑन व्हील से बांटी गयी कानूनी पुस्तकें

कानून संबंधित किताब [illegible]

देवघर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जस्टिस ऑन व्हील के माध्यम से [illegible] में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसमें [illegible] संबंधी कानून के अलावा मुस्लिम [illegible], हिंदू [illegible], याचिका दायर करने के तरीके, सूचना अधिकार अधिनियम, [illegible] कानून की जानकारी [illegible]. कार्यक्रम के दौरान झालसा के सौजन्य से प्रकाशित कानूनी पुस्तकें बांटी गयीं. इस अवसर पर नरेंद्र कुमार, [illegible], झालसा के [illegible] कुमार, श्याम कुमार, विनोद पांडेय, पीएलवी [illegible] कुमार आदि मौजूद थे.

प्रभात खबर 18/07/2021

वर्चुअल जेल अदालत आज

देवघर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से केंद्रीय कारा देवघर में वर्चुअल जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन 18 जुलाई को दिन के 11 बजे होगा. इस आशय की जानकारी डालसा के सचिव प्रताप चंद्र ने दी है.

प्रभात खबर 18/07/2021

त्रिकुट पर्वत के समीप चलंत जागरूकता शिविर

देवघर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में त्रिकुट पर्वत के समीप चलंत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर के माध्यम से आम नागरिकों को कानूनी जानकारी डालसा के पैनल अधिवक्ता संजय कुमार मिश्र द्वारा दी गयी. उन्होंने बाल श्रम एवं बाल विवाह पर रोक लगाने, सूचना अधिकार अधिनियम आदि के बारे में जानकारी दी. इस अवसर पर डालसा के कर्मी, पीएलवी के अलावा श्याम कुमार, विनोद पांडेय आदि शामिल हुए. तथा झालसा के सौजन्य से प्रकाशित कानूनी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया.

प्रभात खबर 28/07/21

राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर को, तैयारी

देवघर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नयी दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देश पर न्याय मंडल देवघर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को होने जा रहा है. इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वृहद पैमाने पर विभिन्न प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जायेगा. इसे सफल बनाने के लिए बिजली विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, बैंक अधिकारियों आदि को निर्देश दिया गया है. इधर, चतुर्मासिक लोक अदालत 31 जुलाई को होने जा रहा है जिसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. मुकदमों के निष्पादन के लिए बेंच का गठन किया गया है. इसकी जानकारी डालसा के सचिव प्रताप चंद्र ने दी है.

प्रभात खबर 03/07/21

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार
न्याय सदन, सिविल कोर्ट परिसर, देवघर

सूचित करना है कि व्यवहार न्यायालय परिसर, देवघर एवं अनुमण्डल व्यवहार न्यायालय, मधुपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत (Virtual/Hybrid Mode) का आयोजन दिनांक–10.07.2021 को सुबह 11.00 बजे से किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित समझौता बैठकें दिनांक –05.07.2021 से 09.07.2021 तक आयोजित की जा रही है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकार के प्री–लिटिगेशन तथा लंबित मामलों का निष्पादन सुलह समझौते के आधार पर किया जाए:-

1. सुलहनीय आपराधिक मामले,
2. एन. आई. एक्ट (चेक अनादरण) से संबंधित मामले,
3. बैंक ऋण वसूली के मामले,
4. मोटर वाहन दुर्घटना के दावे से संबंधित मामले,
5. वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले,
6. श्रम विवाद से संबंधित मामले,
7. भू–अर्जन से संबंधित मामले,
8. बिजली, पानी के बिलों से संबंधित मामले (असुलहनीय मामलों को छोड़कर),
9. सेवा से संबंधित भुगतान, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मामले,
10. राजस्व से संबंधित मामले (जिला न्यायालय में लंबित मामले),
11. अन्य दीवानी मामले जिसमें मालगुजारी, सुखाधिकार, इंजन्क्शन सूट, विनिर्दिष्ट पालन इत्यादि शामिल है,
12. अन्य सुलह योग्य मामले

न्यायालयों में लंबित उपरोक्त मामलों की त्वरित सुनवाई व निष्पादन हेतु मामलों से संबंधित कोई भी पक्षकार/इच्छुक व्यक्ति या किसी भी प्री–लिटिगेशन मामले की सुनवाई किये जाने हेतु इच्छुक व्यक्ति/पक्ष, अपने मामले का ब्योरा, अपने पूरे पते तथा अन्य विवरण के साथ, अपना आवेदन संबंधित न्यायालय अथवा [illegible] के माध्यम से सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, देवघर (मोबाइल नं0 7294181381) अथवा सचिव, अनुमंडल विधिक सेवा समिति, मधुपुर (मोबाइल नं0 7294181380) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

Sd/-
Secretary, DLSA, Deoghar

PR 248952(Deoghar)21-22*D

कार्यालय, जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर
(परिवहन कोषांग)
ई-मेल:- dto-deoghar@jharkhandmail.gov.in

प्रभात खबर
06/07/21

...न कर कार्रवाई की मांग की थी.

राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 10 बेंच गठित

देवघर. न्याय मंडल देवघर में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. इस अदालत को सफल बनाने के लिए पक्षकारों को नोटिस भेजने का कार्य पूरा कर लिया गया है. मामलों की सुनवाई के लिए देवघर सिविल कोर्ट परिसर में छह बेंच व मधुपुर अनुमंडल सिविल कोर्ट में चार बेंच बनाये गये हैं. प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक पदाधिकारी व दो पैनल अधिवक्ता को जिम्मेवारी दी गयी है. जो विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करेंगे व पक्षकारों की सहमति से निष्पादित करेंगे. इसको तैयारी के संदर्भ में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रताप चंद्र ने बताया कि एक हजार से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है. राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व नौ जुलाई तक प्री-लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें मामलों की सुनवाई की जायेगी.

प्रभात खबर 07/07/21

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
न्याय सदन, सिविल कोर्ट परिसर, देवघर।

सूचित करना है कि व्यवहार न्यायालय परिसर, देवघर एवं अनुमण्डल व्यवहार न्यायालय, मधुपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत **(Virtual/Hybrid Mode)** का आयोजन दिनांक–**10.07.2021 को सुबह 11.00 बजे** से किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित समझौता बैठकें दिनांक –05.07.2021 से 09.07.2021 तक आयोजित की जा रही है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकार के प्री–लिटिगेशन तथा लंबित मामलों का निष्पादन सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा–

1. सुलहनीय आपराधिक मामले,
2. एन. आई. एक्ट (चेक अनादरण) से संबंधित मामले,
3. बैंक ऋण वसूली के मामले,
4. मोटर वाहन दुर्घटना के दावे से संबंधित मामले,
5. वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले,
6. श्रम विवाद से संबंधित मामले,
7. भू–अर्जन से संबंधित मामले,
8. बिजली, पानी के बिलों से संबंधित मामले (असुलहनीय मामलों को छोड़कर)
9. सेवा से संबंधित भुगतान, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मामले,
10. राजस्व से संबंधित मामले (जिला न्यायालय में लंबित मामले)
11. अन्य दीवानी मामले जिसमें मालगुजारी, सुखाधिकार, इन्जंक्शन सूट, विनिर्दिष्ट पालन इत्यादि शामिल है।
12. अन्य सुलह योग्य मामले

न्यायालयों में लंबित उपरोक्त मामलों की त्वरित सुनवाई व निष्पादन हेतु मामलों से संबंधित कोई भी पक्षकार/इच्छुक व्यक्ति या किसी भी प्री–लिटिगेशन मामले की सुनवाई किये जाने हेतु इच्छुक व्यक्ति/पक्ष अपने मामले का ब्यौरा, अपने पूरे पते तथा अन्य विवरण के साथ, अपना आवेदन संबंधित न्यायालय अथवा विभागों के माध्यम से सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, देवघर (मोबाइल सं0 7294181381) अथवा सचिव, अनुमंडल विधिक सेवा समिति, मधुपुर (मोबाइल सं0 7294181380) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

Sd/-
Secretary, DLSA, Deoghar

PR 249134 (Deoghar) 21-22 (D)

प्रभात खबर 11/07/2021

राष्ट्रीय लोक अदालत | चीफ जस्टिस अपरेश सिंह भी हुए शामिल, पौधरोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की

1235 मामलों का निबटारा, 75.87 लाख पर समझौता

- बनाये गये थे 10 अलग-अलग बेंच

विधि संवाददाता, देवघर

देवघर न्याय मंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हाइकोर्ट रांची के जस्टिस अपरेश सिंह शामिल हुए. उन्होंने सिविल कोर्ट कैंपस में पौधरोपण किये, पश्चात न्याय सदन के रुखसार पहुंचे, जहां पर तीन मुकदमों के दावाकर्ताओं को विपक्षियों द्वारा न्यायालय में जमा किये हुए चेक प्रदान किये. इनमें से उपभोक्ता संरक्षण फोरम के एक मामले में पक्षकार द्वारा वादी के पक्ष में दिया गया चेक था, जबकि श्रम न्यायालय द्वारा दो मामलों में दिये गये चेक थे. उन्होंने सिविल कोर्ट में चल रहे लोक अदालत के सभी बेंचों का जायजा लिया. इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी के अलावा सभी न्यायिक

हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश सिंह समेत अन्य.

पदाधिकारीगण, डालसा सचिव प्रताप चंद्र, न्यायालय के कर्मी, अधिवक्ता आदि मौजूद थे.

राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 बेंचों के माध्यम से कुल 1235 मामलों का निष्पादन सुलह समझौता के आधार पर हुआ. साथ ही विभिन्न मामलों में 75,87,450 रुपये की राशि का समझौता तय हुआ. वहीं विभिन्न विभागों के मामलों के निष्पादन से हजारों रुपये की वसूली हुई. मुकदमों के निष्पादन के लिए 10 बेंच बनाये गये थे, जिसमें से सिविल कोर्ट परिसर देवघर में छह बेंच एवं मधुपुर अनुमंडल सिविल कोर्ट परिसर में चार बेंच था. प्रत्येक बेंच में एक-एक एक न्यायिक पदाधिकारी एवं दो-दो पैनल अधिवक्ता नियुक्त थे. सबसे अधिक मामले बिजली विभाग के निष्पादित हुए. मुकदमों के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों व जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं का भरपूर योगदान रहा.

कहते हैं प्राधिकार के सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रताप चंद्र ने कहा कि लक्ष्य से अधिक मामलों का निष्पादन हुआ, जो नागरिकों की जागरूकता का प्रतीक है. अब लोग केस मुकदमा लड़ने के बजाय सुलह समझौता में विश्वास रख रहे हैं. इसके लिए देवघर कोर्ट के अधिवक्ता व डालसा से जुड़े पैनल एडवोकेट बधाई के पात्र हैं.

इन विभागों के मामलों का हुआ निबटारा

निष्पादित मामलों में बिजली विभाग, उत्पाद विभाग, बैंक ऋण मामले, वन विभाग, क्रिमिनल कंपाउंडेबल, टेलीफोन विभाग, मापतौल, रेलवे एक्ट, पारिवारिक मामले, क्लेम केस, श्रम विभाग के केस, उपभोक्ता फोरम आदि के मामले शामिल हैं.

HINDUSTAN 11/07/2021

राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निष्पादन

शनिवार को दावाकर्ता को चेक सौंपते न्यायमूर्ति अपरेश सिंह। • हिन्दुस्तान

देवघर | प्रतिनिधि

देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को मिलाकर 1235 मामलों का निष्पादन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में 75,87,450 रुपए के समझौते तय किए गए।

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कई बेंचों का गठन किया गया, जिनमें न्यायिक पदाधिकारियों समेत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ताओं को शामिल किया गया था। इस वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की उपस्थिति रही। इधर, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष-सह-झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश सिंह ने शनिवार को देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की विभिन्न बेंच का निरीक्षण किया। उन्होंने पौधरोपण किया एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान दो अलग-अलग मामले में दावाकर्ताओं को अपने हाथों से चेक भी समर्पित किए। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष-सह-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम संजीव कुमार झा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कमल रंजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रताप चंद्रा, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी तन्वी सहित अन्य उपस्थित थे।

प्रभात खबर 11/07/2021

PR 249445 Building(21-22)#D

DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY, DEOGHAR

is organizing

NATIONAL LOK ADALAT

(Virtual/Hybrid Mode)

on 10th July, 2021

From 11.00 AM to 03:00 PM

At Nyaya Sadan Building(DLSA), Civil Court, Deoghar, Jharkhand.

PRE-LITIGATION(A dispute which is not filed before the court):-	PENDING IN THE COURTS:-
(i) cheque dishonor cases under Section 138 NI Act; (ii) Money Recovery cases; (iii) Labour disputes cases; (iv) Electricity and Water Bills cases; (v) Maintenance Cases; (vi) Others (Criminal Compoundable and other Civil disputes); (vii) Notice Branch Traffic Challans Note: - Parties may move an application for pre-litigation cases mentioned above **Secretary, District Legal Services Authority, Deoghar.**	(i) Criminal Compoundable Offences; (ii) cheque dishonor cases under Section 138 NI Act; (iii) Money Recovery cases; (iv) Motor Accident Claims cases(MACT); (v) Labour dispute cases, (vi) Electricity and Water Bills cases; (vii) Matrimonial disputes(except divorce); (viii) Land Acquisition cases; (ix) Services matters relating to pay and allowances and retiral benefits; (x) Revenue cases (xi) Other civil cases; (xii) Traffic Challans **Note:-** Parties may move and application before Concerned Court where the cases is pending.

Settlement of disputes through Lok Adalat ensures speedy disposal, amicable settlement and refund of court fee paid. Award passed in Lok Adalat shall be final and binding on all the parties to the dispute and no appeal shall lie to any court against the award.

For any query, please contact at :-
Nyaya Sadan, DLSA, Civil Court Premises, Deoghar
Phone No:- 06432-275496
E.mail :- deoghardlsa@gmail.com
facebook page:- facebook.com/DLSA
Helpline No: - 7488583064.

Sd/-
Secretary, DLSA, Deoghar

PR 249383 Deoghar(21-22).D

प्रभात खबर 11/07/2021

लोक अदालत में 293 मामलों का हुआ निष्पादन

मधुपुर. अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में शनिवार को कोविड नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत के लिए चार बेंच बनाये गये थे. बेंच संख्या 1 में एसडीजेएम रवि नारायण व अधिवक्ता रूपेश नारायण सिन्हा के द्वारा 60 अपराधिक मामलों में सुलह समझौते के माध्यम से निष्पादन किया गया. बेंच संख्या 2 में जेएम नरेंद्र कुमार व अधिवक्ता दीपक कुमार के द्वारा एनआइ एक्ट व सभी बैंक से 22 मामला का निष्पादन किया गया. जिसमें 7 लाख 98 हजार 674 रुपया वसूला गया. वहीं बेंच संख्या 3 में रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी गौतम गोविंदा व अधिवक्ता जमील अख्तर के द्वारा रेलवे से संबंधित 92 मामलों का निष्पादन किया गया. जिसमें 41 हजार 350 रुपये की वसूली की. बेंच संख्या 4 में जेएम अनिल कुमार व सुशीला टोप्पो व अधिवक्ता सुधांशु शेखर द्वारा वन विभाग से संबंधित 100, उत्पाद विभाग से संबंधित 19 केसों का निष्पादन किया गया. जिसमें 41 हजार 500 रुपया वसूला गया. वहीं माप तौल विभाग से संबंधित मामलों का भी निष्पादन किया गया. सुलह समझौता के आधार पर कुल 293 मामलों का निष्पादन किया गया. जिसमें 871, 524 रुपया वसूली की गयी. मौके पर सुजीत सिंह, आनंद राय, पीयूष कुमार, राजेश्वर, अभिजीत आदि मौजूद थे.